

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना - स्था०-03/2015.....525.....

राँची, दिनांक - 20/11/2018

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्र ज्ञाप संख्या-स्था०-11/06-255, दिनांक 14.06.2006 जिसके द्वारा नियमित आकस्मिकता मद के अधीन स्वीकृति, निकासी एवं व्ययन हेतु उप जनसम्पर्क निदेशक (क्षेत्र) को 10,000/- (दस हजार) रुपये, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी को 5,000/- (पाँच हजार) रुपये एवं अपर जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी को 2,500/- (दो हजार पाँच सौ) रुपये तक की वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित थी, को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

2. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 110 में निहित प्रावधान के आलोक में नियमित आकस्मिकता मद के अधीन स्वीकृति, निकासी एवं व्ययन की कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

3. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के उप सचिव।

राँची, दिनांक.....

ज्ञापांक:- स्था०-03/2015.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

राँची, दिनांक.....

ज्ञापांक:- स्था०-03/2015.....

प्रतिलिपि :- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

राँची, दिनांक 20/11/2018

ज्ञापांक:- स्था०-03/2015.....525.....

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।